

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर

दिनांक : 30.08.2017

—: प्रेस-विज्ञप्ति :-

आयोग द्वारा एस.बी. सिविल रिट याचिका सं. 19195/2013 नरेन्द्र शर्मा व अन्य बनाम राज्य सरकार व अन्य में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14.01.2016 के क्रम में (अवमाननावाद 631/16 कपिल हरितवाल बनाम श्री नरेशपाल गंगवार व अन्य) पी.टी.आई. ग्रेड-तृतीय प्रतियोगी परीक्षा, 2011 के पूर्व घोषित परिणाम के अन्तर्गत नॉन जाईनर्स रहें अभ्यर्थियों के विरुद्ध आयोग द्वारा घोषित परिणाम दिनांक 27.08.2017 में 193 अभ्यर्थियों को मेरिट सूची में अस्थाई रूप से प्रतिस्थापित किया गया है।

आयोग द्वारा उक्त पदों हेतु पूर्व में अभ्यर्थियों से खेल प्रमाण-पत्रों की जांच हेतु विस्तृत आवेदन-पत्र भरवाये गये थे। पूर्व में भरवाये गये आवेदन-पत्रों से परिणाम दिनांक 27.08.2017 में चयनित 193 अभ्यर्थियों में से 128 अभ्यर्थियों के आवेदन-पत्र प्राप्त हो चुके हैं। शेष 65 अभ्यर्थियों के आवेदन-पत्र अप्राप्त है।

उक्त 65 अभ्यर्थियों की सूची आयोग की वेबसाईट <https://rpsc.rajasthan.gov.in> पर जारी की जा चुकी है। उक्त सूची में उल्लेखित रोल नं. वाले अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे आयोग की वेबसाईट से विस्तृत आवेदन-पत्र डाउनलोड कर पूर्ण रूप से भरकर मय समस्त शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक योग्यताओं के दस्तावेजों के दिनांक 05.09.2017 सांय 6.00 बजे तक आयोग कार्यालय में आवश्यक रूप से व्यक्तिशः अथवा डाक द्वारा जमा करवाये।

सचिव